संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल

क्रमांक 1338 /UAD/2017 भोपाल, दिनांकः 03 / 08 / 2017

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिका निगम
   मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका / नगर परिषद
   मध्यप्रदेश

विषयः—भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु एकल शपथ पत्र के संबंध में।

यह पाया गया है कि भवन अनुज्ञा के आवेदन के साथ में आवेदक से शपथ पत्र (Affidavit) प्राप्त किये जाते हैं। अधिकांश निकायों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु लिये जाने वाले वचन / शपथ पत्र (Affidavit) को एकीकृत कर एक साथ ही लिया जा रहा है, किन्तु कुछ निकायों में अभी भी हर प्रयोजन के लिये पृथक पृथक शपथ पत्र लिये जा रहे हैं।

आवेदकों की सहूलियत एवं Ease of Doing Business के तहत अब यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी एक से अधिक शपथ पत्र लिये जा रहे हों, वे उन शपथ पत्र के बिन्दुओं को एकजायी कर एक ही शपथ पत्र आवेदक से प्राप्त करेंगे। तदानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

(विवेक अग्रवाल)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 1339 /UAD/2017 भोपाल, दिनांकः 03 / 08 / 2017

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.।

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश

शपथ-पत्र

(भूखंड /भवन स्वामी द्वारा प्रस्तुत)

मैं/हम (भूखंड/भवन स्वामी) ..... निम्नानुसार प्रमाणित कर कथन करता/करती हूँ कि:-

01. यह कि, मैं/हम भूखण्ड/प्लाट /मकान क्र ..... की नगर निगम के वार्ड क्र....., ज़ोन क्र. ..... क्षेत्रफल ..... वर्गफिट है पर विकास/भवन का निर्माण/विस्तार/मरम्मत करने हेतु निगम में विधिवत आवेदन करता/करती हूँ।

02. यह कि, मेरे द्वारा प्रस्तावित विकास/भवन निर्माण कार्य स्वयं/या मेरे द्वारा प्राधिकृत श्री/श्रीमती/फ़र्म (संस्था का नाम) स्वयं के द्वारा कराया जायेगा, जिनका पूर्ण वर्तमान एवं स्थायी पता इस प्रकार है:-

(1) वर्तमान पता:- .....

(2) स्थाई पता:- .....

03. यह कि, मेरे/हमारे या मेरे द्वारा विकास/निर्माण हेतु प्राधिकृत व्यक्ति/फ़र्म संस्था के द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल पर, भवन निर्माण नगर निगम/पालिका .....के द्वारा प्रदान की गई भवन अनुज्ञा के अनुरूप ही किया/कराया जायेगा।

04. यह कि, मेरे द्वारा निर्माण स्थल पर स्वीकृत अनुज्ञा की प्रतिलिपि रखी जायेगी तथा नगर निगम के प्राधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को अवलोकनार्थ सदैव उपलब्ध रहेगी।

05. यह कि, मेर द्वारा स्वीकृत मानचित्र अनुज्ञा से हटकर कोई निमाण कराया/किया जाता है, तो नगर निगम/पालिका..... को अधिकार होगा कि वह उक्त निर्माण को हटा दे।

06. यह कि, मेरे/हमारे द्वारा विकास/निर्माण हेतु प्राधिकृत व्यक्ति/फ़र्म/ संस्था के द्वारा निर्माण के दौरान स्वीकृत (सीढ़ी, वाहन, पार्किंग क्षेत्र, वेंटिलेशन शाफ़्ट /डक्ट, कोर्ट यार्ड, टॉयलेट डक्ट, किचिन डक्ट (कोर्ट यार्ड) एवं अन्य रहवासी थे (लिविंग स्पेस), प्रोजेक्शन जैसे कि बालकनी, छज्जा, बाई रोड, अलमारी, पौधे) की स्थिति में कोई परिवर्तन या विचलन नहीं किया जायेगा।

07. यह कि, मेरे/हमारे द्वारा अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मानचित्र बेसमेंट +पार्किंग+भूतल+ मेझेनाईन+प्रथम तल + द्वितीय तल + तृतीय तल (प्रस्तावित के अतिरिक्त को कृपया काट दें) के भवन निर्माण हेतु है, जिनका निर्मित क्षेत्रफल (एफ.ए.आर. के मान स ..... वर्गमीटर) एव कुल क्षेत्र (बेसमेंट+पार्किंग+मेझेनाईन+सुविधा) (मीटर रूम, पम्प रूम, लिफ्ट रूम आदि) सहित ..... वर्गफिट/वर्गमीटर है।

08. यह कि, भवन में कुल संख्या..... आवासीय इकाई/प्रकोष्ठ होंगे, जिन्हें मेरे/हमारे द्वारा निर्माण के पश्च्यात यह नगर पालिका नगर निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम, 1984

के प्रावधानों के तहत आवश्यक समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् मेरे/हमारे द्वारा स्वयं के उपयोग/विक्रय, लीज या किराये पर देने के प्रयोजन हेतु लाया जावेगा।

09. यह कि, यदि किसी भी कारण से भवन की डिज़ाईन/संरचना में कोई परिवर्तन/विचलन किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में प्राप्त भवन अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

10. यह कि, स्वीकृत भवन अनुज्ञा में ऐसे किसी भी परिवर्तन/विचलन हेतु मेरे/हमारे या प्राधिकृत व्यक्ति/फ़र्म संस्था द्वारा परिवर्तन/विचलन को समायोजित करते हुए मानचित्र नवीन अनुज्ञा हेतु विधिवत नगर निगम/पालिका ..... में प्रस्तुत किया जावेगा।

11. यह कि, यदि मेरे/हमारे द्वारा नियुक्त सलाहकार वास्तुविद्/यंत्री (नीचे दिये विवरणानुसार) के स्थान पर किसी अन्य वास्तुविद्/यंत्री की सेवाये ली जाती हैं, तब यह अनुज्ञा निरस्त मानी जायेगी एवं नये सलाहकार वास्तुविद्/यंत्री के हस्ताक्षर एवं मुहर के अतिरिक्त नये शपथ-पत्र के साथ नये मानचित्र नवीन अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किये जावेगे।

12. यह कि, मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक छत के डालने के पश्चात् नगर निगम को सूचित किया जावेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्मित क्षेत्र स्वीकृत अनुज्ञा अनुसार है।

13. यह कि, मेरे/हमारे द्वारा निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1956 की धारा 301 के तहत आवश्यक कार्य पूर्णतः प्रमाण-पत्र एवं अधिवासित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ किया जावेगा एवं इसके पश्चात् ही भवन/प्रकोष्ठ/इर्काइ पूर्ण या आंशिक हिस्से को किराया/लीज़, उपयोग हेतु आधिपत्य दिया जावेगा।

14. यह कि, भवन का उपयोग स्वीकृत अनुज्ञा मानचित्र में दर्शाये अनुसार ही होगा। भवन उपयोग मेरे ऐसे किसी परिवर्तन को, जिससे स्वीकृति उपयोगअनुसार सेवाए जैसे-वाहन पार्किंग क्षेत्र, जल-मल संवहन एवं संचरण, विद्युत आदि पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, का समुचित निराकरण करने के पश्चात् ही मान्य होगा।

15. यह कि, मैने/हम भवन निर्माण गुणवत्ता स्वीकृत भवन संरचनानुसार एवं संबंधित क्षेत्र के अनुमोदित एवं अनुशासित मानक/मापदण्डों के अनुसार ही करूंगा।

16. यह कि, मेरे/हमारे द्वारा किये जा रहे निर्माण द्वारा चारों ओर की अन्य संरचनाओं/भवनों को कोई क्षति नहीं पहुचेगी, कार्यावधि में यातायात में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा व क्षेत्र की शांति बनी रहेगी, ऐसी व्यवस्था की जावेगी। मेरे/हमारे द्वारा निर्माणाधीन भवन के नीचे अगल-बगल में खड़े वाहन पैदल यात्रियों की समुचित सुरक्षा के उचित प्रबंध किये जायेंगे।मेरे/हमारे द्वारा निर्मा ण में कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किये जायेंगे ।

17. यह कि, मेरे/हमारे द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल की व्यवस्था व्यवसायिक दर पर क्रय कर / स्वयं के जल स्रोत द्वारा किया जायेगा तथा निर्माण कार्य के लिये पीने के पानी का उपयोग नहीं

किया जायेगा। निर्माणाधीन अवधि में आवश्यक अस्थायी संरचना (जैसे चौकीदार कक्ष एवं भण्डार गृह) भूखंड के सीमाओं के अंदर ही किया जायेगा।

18. यह कि, मै/हम श्री/श्रीमती/कु. ..... (वास्तुविद्/यंत्री का नाम) निवासी (वर्तमान/स्थायी पता) ..... काउंसिल ऑफ़ आर्किटेक्चर पंजीयन क्रमांक .....निगम पंजीयन क्रमांक ..... का मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम,

2012 एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भूखण्ड विवरण.....की नगर निगम/पालिका के वार्ड क्र. ....., ज़ोन क्र..... क्षेत्रफल .....वर्गफिट है, पर योजना/संरचना एवं पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त करता/करती हूँ।

मैं/हम.....
.....

शपतग्राहिता

सत्यापन

उपरोक्त कथन को प्रमाणित कर सत्यापित करता/करती/करते हैं कि उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है, जिन्हें मैंने /हमने पूर्णतः होश हवास में समझ-बूझ लिया है एवं उपरोक्त उल्लेखित कथन का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे तथा करवाऊंगा/करवाऊंगी।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर

(भूखंड स्वामी को छोड़कर कोई निर्माणकर्ता का)

हस्ताक्षर (**भूखंड स्वामी**)

नाम व पता - .....

.....

स्थान:

दिनांक :

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम एवं पता